

नई दिल्ली, 2 जनवरी 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज 'नेट निरपेक्षता हेतु ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और बहु-हितधारक निकाय' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें सभी हितधारकों की टिप्पणियों की मांग की गई। परामर्श पत्र का पूरा पाठ की भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. इससे पहले, भादूविप्रा ने 28 नवंबर, 2017 को 'नेट निरपेक्षता' पर सिफारिशें जारी की थी, जिसमें गैर-भेदभावपूर्ण ट्रीटमेंट एप्लिकेशन, अपवर्जन और अपवाद, आईओटी और विशेषज्ञ सेवाएं, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, निगरानी और लागू करना आदि के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। दूरसंचार विभाग ने 31 जुलाई 2018 के अपने पत्र सूचित किया कि सरकार द्वारा "नेट निरपेक्षता" पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर विचार किया गया था। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने नेट निरपेक्षता पर अपने सिद्धांत निर्देश जारी किए। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों और निगरानी और लागू करने के लिए बहु-हितधारक निकाय की संरचना, कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियों पर अतिरिक्त सिफारिशें मांगी हैं।

3. इस परामर्श पत्र का उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों और बहु-हितधारक निकाय की नेट निरपेक्षता से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है। पेपर इंटरनेट ट्रैफिक के मापन और उचित ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों के संकलन में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करता है। यह टीएमपी तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना पर भी चर्चा करता है। पेपर में विभिन्न बहु-हितधारक निकाय की संरचना, कार्य, शासन संरचना से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। परामर्श पत्र उन मुद्दों पर केंद्रित है और सीमित है, जिन पर दूरसंचार विभाग के 31 जुलाई के पत्र के तहत अतिरिक्त सिफारिशें मांगी गई हैं, जिसका उल्लेख पैरा 2 में किया गया है।

4. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, क्रमशः 30 जनवरी, 2020 तक और 13 फरवरी, 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणी और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advqos@traigov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर + 91-11-23230404, फ़ैक्स नंबर + 91-11-23213036 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।